The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 6 | June 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

आभा मिश्रा

शोधार्थी ,लखनऊ , गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज ,शिक्षाशास्त्र विभाग , उ० प्र०

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:

बालिका शिक्षा, समाज, सामाजिक न्याय

ABSTRACT

प्रजातांत्रिक देशों में बालिका शिक्षा को सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पुरूषों के समान ही स्त्रियों को भी समान अधिकार दिये जाते हैं, और विकास के लिए समान सुविधाऐं भी दी जाती हैं। बालिकाएं समाज का आधार स्तम्भ होती हैं। बालिका शिक्षा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान करती है। बालिका शिक्षा किसी भी समाज की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। शोध का उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति पुरुष एवं महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 50 अभिभावकों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं महिला अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया है।

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता था। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज के चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला हैं। वैदिक काल में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे पुरूषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। प्राचीन काल में अनेक विदुषी

स्त्रियां थी लोपामुद्रा -, घोषा, अपाला आदि। बालिकाओं और स्त्रियों को 200 ई० पू० तक शिक्षा की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं, परन्तु उसके बाद उनकी शिक्षा पर धीरेधीरे प्रतिबन्ध लगता गया और उनकी शिक्ष-ा अवरूद्ध होती गयी। भारत में आदिकाल से ही नारी को देवी तुल्य स्थान दिया जाता रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि–

"नार्यत्सु राष्ट्रस्य श्रव:"

अर्थात् नारी राष्ट्र का भविष्य है एवं हमें नारी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय विद्वानों एवं शिक्षाविदों नें महसूस किया कि देश के बहुमुखी विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए शिक्षा के उन्नयन और सर्वसुलभता के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया, जिसमें सन् 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। राधाकृष्णन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि – **"शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते"** अतः महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें स्त्रियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि, महिलाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृहप्रबन्ध-, गृह अर्थशास्त्र, पोषण शिक्षा को स्थान दिया जाना, शैक्षिक परामर्श एवं उदाहरणों द्वारा गृह प्रबन्ध तथा गृह अर्थशास्त्र के अध्ययन के विरूद्ध वर्तमान विद्वेष को दूर किया जाना, उच्च स्तर पर सहशिक्षा की व्यवस्था किया जाना तथा महिला शिक्षकों को समान कार्य के लिए पुरूष शिक्षकों के समान वेतन एवं सम्मान दिया जाना आदि शामिल है। सन् 1952-53 में मुदालियर आयोग ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोलना, जहां बालिका विद्यालय खोलना सम्भव न हो सके वहां सहशिक्षा की व्यवस्था करना, बालिका विद्यालयों एवं सहशिक्षा विद्यालयों में गृहविज्ञान शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना, माध्यमिक स्तर पर गृहविज्ञान वर्ग के पाठ्यक्रम की अलग से व्यवस्था करना आदि प्रमुख हैं। सन् 1964-66 में कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता की जानी चाहिए, बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिए अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। सन् 1986 में नई शिक्षा नीति में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष एवं महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया कि स्त्री-पुरूष शिक्षा में भेद न करके लिंगमूलक अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए। स्त्रियों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा तथा उन्हें व्यावसायिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए विशेष सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य -

शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति बालिकाओं के विकास में एक आधार के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालिका की उच्च शिक्षा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान करती है। बालिका शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायता करती है। शिक्षा अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बालिकाओं को सक्षम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सी समस्याओं को पुरूषों से नहीं कह सकने के कारण बालिकाएं /महिलाएं कठिनाई का सामना करती रहती हैं। अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। शिक्षा अंधकार को समाप्त करने का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। ज्ञान बालिका के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। बालिका किसी भी समाज की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक पांच में से एक बालिका को गरीबी, हिंसा और भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालिका शिक्षा के महत्व के सन्दर्भ में कहा है, बालिकाओं को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्वपूर्ण नही है कि उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके, बल्कि इस कारण महत्वपूर्ण है कि वे समाज में बदलाव को गति प्रदान करती हैं" ।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे देश का लोकतंत्र छमूल सि :द्धान्तों पर आधारित हैस्वतंत्रता -, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं न्याय। उचित शिक्षा के आभाव में इन सिद्धान्तों का लोगों को स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

समाज के उत्थान के लिये बालिकाओं की उच्च शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। परिवार सबसे छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह होता है। इसके उत्थान में बालिका पुरूष दोनों की समान भूमिका होती है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षित समाज-स्त्री /का रहनपान की विधिया-सहन एवं खान-ं एवं उनके व्यवहार प्रतिमान अशिक्षित समाज से उच्च एवं श्रेष्ठ होते हैं। हमारे देश में स्त्रियां इस मार्ग में बड़ी बाधक हैं। अशिक्षित होने के कारण वे रूढ़ियों, कुरीतियों, अन्ध विश्वासों एवं भय से ग्रसित हैं। यदि हमें

भारतीय समाज का उत्थान करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने देश की समस्त बालिकाओं को शिक्षित करना है। परिवार के उत्थान के लिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

समस्या कथन

"ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन" ।

अध्ययन के उद्देश्य

- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति पुरुष अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में पुरुष एवं महिला अभिभावकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

- ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

परिसीमांकन-

समस्या के परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी सीमा को निश्चित करना आवश्यक होता है क्योंकि विविध दृष्टिकोण वाले विषयों को सम्मिलित करना असम्भव तो नही किन्तु कठिन अवश्य हो जाता है। शोधकत्री ने सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्या **" ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन "** के लिए निम्नलिखित सीमाओं को निश्चित किया है।

समय एवं साधनों की सीमितता के कारण प्रस्तुत शोध की सीमाएं इस प्रकार हैं -

(1) प्रस्तुत शोध में केवल लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र नरायणपुर के केवल अभिभावकों को ही सम्मिलित किया गया है। अतः परिणाम यहीं पर लागू होंगे।

(2) प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकत्री द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया है।

(3) समय एवं साधनों की सीमितता के कारण 50 अभिभावकों को)25 महिला एवं 25 पुरूषप्रतिदर्श के रूप में को (चयनित किया गया है।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोध वर्तमान परिस्थिति को इंगित करती है तथा इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है । सर्वेक्षण अनुसंधान प्रणालियों में सर्वेक्षण विधि का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण किसी क्षेत्र, समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्लेषित करने, व्याख्या करने तथा प्रतिवेदन करने का एक सुनियोजित प्रयास है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर किसी विशेष घटना का वैज्ञानिक निरीक्षण करता है तथा उसके सम्बन्ध में खोज करता है। सीमित समय में शोध के लिए सर्वेक्षण विधि ही सर्वोपरि मानी जाती है ।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या के अंतर्गत शोधकर्ती ने ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अभिभावकों को सम्मिलित किया है । जिन अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है वे सभी अभिभावक उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र नरायणपुर के निवासी हैं। सभी अभिभावकगण भिन्नभिन्न आर्थिक- तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखते हैं ।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र नरायणपुर के 50 अभिभावकों का चयन किया गया है जिसके अंतर्गत अभिभावकों का चयन **यादृच्छिक न्यादर्श विधि** से किया गया है । सर्वप्रथम 50 अभिभावकों में से 25 महिला तथा 25 पुरूष अभिभावकों का चयन किया गया है ।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ज्ञात करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है ।

आँकड़ों का संग्रहीकरण एवं प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

वर्तमान अध्ययन में शोधकत्री ने आँकड़ों के संग्रह के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया । ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शोधकत्री द्वारा प्रश्नावली विकसित की गई थी, आँकड़ों के संग्रह के लिए प्रश्नावली हिन्दी में बनाई गई थी जिसमें 5-बिंदु लिकर्ट पैमाने पर आधारित 30 बंद अंत वाले आइटम(प्रश्न) शामिल थे । प्रश्नावली के पहले भाग का उद्देश्य उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय विशेषताओं जैसे नाम, शैक्षिक योग्यता, आयु, लिंगपता , के बारे में जानकारी एकत्र करना था । दूसरे भाग में 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर आधारित 30 क्लोज एंडेड आइटम शामिल है। उत्तरदाताओं को 1 से 5 तक पांच बिन्दु लिकर्ट पैमाने का उपयोग करके अपनी राय देने के लिए कहा गया था । अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकीय विधियों के अंतर्गत मध्यमान , परीक्षण का प्रयोग किया गया है-मानक विचलन तथा टी।

विश्लेषण व्याख्या एवं परिणाम

परिकल्पना क्रमांक 01 –

ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा ।

सारणी क्रमांक 01 –

ग्रामीण क्षेत्र के महिला एवं पुरुष अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण

समूह परीक्षण	अभिभावकों की संख्या (N)	माध्य (M)	प्रामाणिक विचलन मान (S.D.)	स्वतंत्रता का अंश Degree Of Freedom (D.F.)	टीमान- (t-Value)	सार्थकता स्तर (Level Of Significance)	परिकल्पना स्वीकृत / अस्वीकृत

पुरुष अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण	25	96.20	19	48	0.42	0.05	परिकल्पना स्वीकृत
महिला अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण	25	93.88	19.76				

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पुरुष अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का मध्यमान 96.20 मानक विचलन 19 तथा महिला अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का मध्यमान 93.88 तथा मानक विचलन 19.76 पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करने पर अन्तर की सार्थकता की जांच के लिए t -परीक्षण किया गया। जहाँ दोनों समूहों के मध्य t का मान D. F. (स्वतंत्रता का अंश)48 पर 0.42 है जो कि टी के टेबल की सारणी मान 2.01 से कम है। अतः इस स्तर पर यह परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत लघु शोध हेतु संकलित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए --

- ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश अभिभावक (पुरुष एवं महिला (का यह मत है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करना चाहिए तथा उनमें उच्च शिक्षा द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा ग्रहण करने से बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि तथा उनके आत्मनिर्भर बनने की प्रबल सम्भावना हो जाती है इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा ग्रहण कर बालिकाएं अपनी समस्याओं का निदान भी भली प्रकार से कर सकती है।
- बालिकाओं के अधिकांश अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र से महाविद्यालय की अधिकतम दूरी, रूढ़िगत विचार एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।
- बालिकाओं के अभिभावक यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा प्रदान करने से परिवार के आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर में वृद्धि एवं उनके सभी संशय एवं बाधाओं का उन्मूलन होता है।

सुझाव

- बालिकाओं को अपने मातापिता को उच्च शिक्षा के -की उपयोगिता को बताना चाहिए एवं अपने माता पिता को उच्च शिक्षा-प्रति सकारात्मक दृष्किोण की तरफ ले जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं दी जाने वाली सुविधाओं को छात्राओं द्वारा जानकारी रखनी चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जा सके।
- अभिभावकों का अपनी बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्किोण होना चाहिए एवं बेटाबेटी में फर्क नहीं होना चाहिए तथा बेटियों - को उच्चशिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- अभिभावकों को सरकार द्वारा बालिका की उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे उनकी उच्च शिक्षा में आर्थिक स्थिति कारण न बनें।
- अभिभावकों के मन में यह धारणा बदलने की आवश्यकता है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के बाद उनके विवाह में समस्या आएगी।
- अभिभावकों को वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए कि देश में महिलाएं भी पुरूषों के समान कार्य कर रही हैं इस दृष्टिकोण को और भी सकारात्मक करने की आवश्यकता है।

आगामी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के दौरान शोधकत्री ने कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिया, जिसमें शोध कार्य से सम्बन्धित क्षेत्रों में आगे और अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। वे बिन्दु निम्नलिखित हैं -:

- प्रस्तुत शोध में केवल बालिकाओं की उच्च शिक्षा को लिया गया है। जबकि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर भी शोध किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध में लखनऊ जनपद के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर का ही चयन किया गया है। जबकि इसमें शहरी अभिभावकों का भी अपनी बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 50 अभिभावक को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। जबकि अग्रिम शोधार्थी विस्तृत न्यादर्श का चयन करके अपना अध्ययन सम्पादित कर सकते हैं। जिससे और भी प्रमाणिक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध केवल लखनऊ जनपद तक सीमित है। जबकि इसका स्तर और भी व्यापक किया जा सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

- शिक्षक अभिभावकों को अवगत करा सकेंगे कि अभिभावकों का अपनी बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए एवं बेटाबेटी में फर्क नहीं करना चाहिए तथा बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए।-
- शिक्षक बालिकाओं को यह समझाने में सक्षम हो सकेंगे कि किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से समाज में अन्धविश्वास व रूढ़िवादिता को दूर किया जा सकता है। शिक्षित बालिकाएं किस प्रकार अपना योगदान दे सकती हैं इससे अवगत कराया जा सकता है।
- शिक्षक बालिकाओं तथा अभिभावकों को अपनी बालिका की उच्च शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से अवगत कराने में सक्षम हो सकेंगे।
- अधिकांशतः अभिभावक लड़कियों के अपेक्षा लड़कों की शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं इसके कई मुख्य कारण हैं जैसे कि अभिभावक अपनी बेटियों को पराया धन मानते हैं उनकी यह अभिवृत्ति होती है कि वे लड़कियों को (शादी के बाद) सिर्फ उतनी ही शिक्षा देना चाहते हैं जिससे उनकी शादी होने में रूकावट न उत्पन्न हो। अतः शोध के पश्चात शिक्षक अभिभावकों की

अभिवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं तथा बालिका शिक्षा के महत्व से अभिभावकों को अवगत करा सकते हैं ।

- इस शोध के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने में आने वाली शैक्षिक समस्याओं एवं उनके निराकरण में सहायता मिलेगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. **पाठकपी ,०डी० " ,(1992)**अनुसंधान विधियाँ " आगरा ,भार्गव बुक हाउस ,।
2. **कुमारी ,के०)2011)** ने खुले विश्वविद्यालय के द्वारा " महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का लाभ," नई शिक्षा पद्धति ।
3. **मडाड ,आर०)2011),** "शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता," भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका ।
4. **श्रीवास्तव ,वी०)2011),** "छात्राओं की उच्च शिक्षा के प्रति विभिन्न वर्ग के माता-पिता की अभिवृत्ति का अध्ययन" नई शिक्षा पद्धति ।
5. **वर्मा ,ए०) 2019),** "सार्वभौमिक बालिका की उच्च शिक्षा एक चुनौती पूर्ण उत्तरदायित्व" , भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका ।
6. **मंगलएस ,० के०एस ,मंगल & ०(2021)" ,** व्यवहारिक विज्ञानों में अनुसंधान विधियाँ ,"PHI Learning Private Limited ,नई दिल्ली ।